R 656 - II/17

392

न्यायालय में श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

नत्थू लाल राठौर पिता अयोध्या प्रसाद राठौर निवासी ग्राम सेन्दुरी तह0 व जिला अनूपपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

गिरधारी लाल राठौर पिता बोदला निवासी ग्राम सेन्दुरी तह0 व जिला अनूपपुर म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता

राजस्व निगरानी/विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं0 53/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध

प्रदीप श्रीवास्तव अभि0 द्वारा आज दि. 16-2-17 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 16/2/17

महोदय,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है है :-

1. यहकि निगरानी कर्ता नत्थू लाल राठौर निवासी सेन्दुरी ने म0प्र0 भू0रा0सं0 की धारा 50 के तहत तहसीलदार अनूपपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं0 5/अ–3/2002–03 में परित आदेश दिनांक 19.01.2006 के विरूद्ध निगरानी कलेक्टर महोदय अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो विधिवत निराकरण हेतु अपर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में अंतरित हो गया था जिसमें निगरानी कर्ता ने यह आधार लिया था कि ग्राम सेन्दुरी की भूमि खसरा नं0 301/2 रकवा 1.107 हे0 खसरा नं0 332 रकवा 0.206 हे0 खसरा नं0 343/3 रकवा 1.011 हे0 का भूमि स्वामी गिरधारी राठौर है उक्त भूमियों के भूमि स्वामी के द्वारा गिरधारी राठौर ने नक्शा तर्मीम व सीमांकन का आवेदन तहसीलदार अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-656-दो/2017 जिला-अनूपपुर

नत्थू लाल राठौर विरूद्ध गिरधारी लाल राठौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर अनूपपुर जिला- अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक-53/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 25-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-02-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

28/01/19

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होंगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19
(आर.के. जैन)
सदस्य